

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-27042026-272094
SG-DL-E-27042026-272094

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]	दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 2026/वैशाख 7, 1948	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 18
No. 107]	DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2026/VAISAKHA 7, 1948	[N. C. T. D. No. 18

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 26 अप्रैल, 2026

सं. फा. 23/22/प्रोरो.-IV/2026/विसस-VIII/विधायी/958.— माननीय उपराज्यपाल द्वारा दिनांक 26 अप्रैल, 2026 को जारी निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“आदेश

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (1992 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-1) की धारा-6 की उप-धारा (2) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की आठवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र को तत्काल प्रभाव से सत्रावसान करता हूँ।

ह0/-

तरनजीत सिंह संधू, उपराज्यपाल, दिल्ली”

रंजीत सिंह, सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**NOTIFICATION**

Delhi, the 26th April, 2026

No. F. 23/22/Proro-IV/2026/LAS-VIII/Legn/958.—The following order of the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi dated 26 April, 2026 is hereby published for general information: -

“ORDER

In exercise of the power conferred upon me by clause (a) of sub-section (2) of section 6 of The Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (Central Act No.1 of 1992), I, hereby prorogue the Fourth Session of the Eighth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi with immediate effect.

Sd/-

TARANJIT SINGH SANDHU, Lt. Governor, Delhi”

RANJEET SINGH, Secy.